

18/11/2019

9 नवंबर 2019 को उक्त पत्रावली प्राप्त किये
 गये हैं। जहाँ लॉड सिंघ ने जयपुर जिले-15108
 का प्रस्ताव सं. 120/15 जमीन कोर गाँव जगत
 लॉड सिंघ अर्थात् पत्रावली डि. अ. नं. 10/19
 में लॉड सिंघ (अधारी) के विरुद्ध जिला कोर
 कृषि आयोग को अपील कर लॉड सिंघ को सुनवाई
 ना होने से उक्त निर्णय किया/ वकील मजबूत (अधारी) को
 अवगत प्रस्तुत करी कर लॉड में कथन किया कि प्रकरण में
 अधारी लॉड सिंघ के विरुद्ध अपील द्वारा
 विधिक रूप से तमील होने के पश्चात एकपक्षीय कार्यवाही
 की गई हो अतः जयपुर जिले किया जावे।

मूल प्रकरण अधारी 120/2015 का सपलीक
 किया/ अपील द्वारा उक्त प्रकरण में डिके 11/12/2019
 को अधारी के। लॉड सिंघ के वकील तमील अर्थात्
 एल होने के कारण उक्त अपील में धरिय करी
 काम ~~किया~~ अधारी के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही
 अदालत में लॉड तमील एवं डिके नं. 10/19 को प्रकरण



उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर

में निम्न पाठि (किना गला/ तथा वकील जज्ज म
 (बोर्ड किंड) द्वारा प्रमाणित की जाई कि किना
 2/9/2020 मा. बलिष्क अमील अधिकारी श्री. श्रीगंगाराम
 के अनालक श्री. उस्तुत मी. सी. ई. निम्न
 अस्तुत जज्ज द्वारा 120/15 उक्त. वि. डि.
 9/9/19 के विरुद्ध मा. PAA श्रीगंगाराम में
 अपील के 154/2020 अस्तुत श्री. उस्तुत तथा
 तथा मा. अनालक PAA श्रीगंगाराम द्वारा इत
 अनालक द्वारा उ. नं. 120/15 वि. डि. 9/9/19
 की विभाजिति स्वमिा रखने के माईय पाठि
 कि उर है।

अनालक द्वारा उ. नं. 120/15 में
 अतिरिक्त किना किना 9/9/19 को पाठि किना
 जा चुका है, तथा जज्ज (बोर्ड किंड) द्वारा
 उक्त किना के विरुद्ध मा. PAA, श्रीगंगाराम
 के अनालक में अपील की अस्तुत कर दी गई है
 एवं वकील जज्ज ने पखमल अस्तुत कथन किया है
 कि अपील विचारधीन है। ऐसी स्थिति में अंतिम
 अस्तुत के अनालक द्वारा पाठि किना के
 विरुद्ध अपील विचारधीन है एवं अनालक
 द्वारा अस्तुत का अतिरिक्त किना जा चुका है।
 अस्तुत अस्तुत अस्तुत अस्तुत अस्तुत

लिखना अस्तुत अस्तुत अस्तुत
 अस्तुत किना जाता है अस्तुत अस्तुत अस्तुत
 अस्तुत अस्तुत अस्तुत अस्तुत

उपखण्ड अधिकारी
 रायसिंहनगर